न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/145

मथुरा लाल आत्मज विशन लाल जाति माली निवासी मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री चन्द्रमोहन शर्मा अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 14.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 1383 की 1.69 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में से 0.80 हैक्टर भूमि पर वादी पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है जिस पर वादी पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से काश्त करता चला आ रहा । वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1383 रकबा 1.69 हैक्टर में से 0.80 हैक्टर

आराजी का वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे । उक्त भूमि राजकीय सिवायचक खाते से हटायी जाकर वादी के खातेदारी में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करे और उसके कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से काबिज काश्त है और वह कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर काफी पैसा खर्च करके काबिल काश्त बनाया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.03.2017 को हुई । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से काबिज काश्त है और वह कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय एंव डिकी पारित की है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है कि कृषि भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथ्रना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजकीय सिवायचक भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर हक घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है । वादग्रस्त आराजी चम्बल कमाण्ड की भूमि है । आर.आर.टी 2011 (2) पेज 721 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की फुल बैंच ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कब्जा मुखालफाना के आधार पर कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते । इन तथ्यों के आधार पर दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/145

मथुरा लाल आत्मज विशन लाल जाति माली निवासी मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 07/दावा/2014

मथुरा लाल आत्मज विशन लाल जाति माली निवासी मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.06.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्रमोहन शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 14.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

14/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा